Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 167: Delegation of powers

The Commissioner may, by notification, direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, any power exercisable by any authority or officer under this Act may be exercisable also by another authority or officer as may be specified in such notification.

www.cggst.com

धारा 167 : शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयुक्त, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी और प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

www.cggst.com